न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 110/2021

1. मोहनलाल पुत्र श्री नाथाराम, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
2. संतोषदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) जिला कलक्टर, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन पिकअप नम्बर आर0जे0 18 जीए 6370 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 67/2021 पुलिस थाना पचेरी कलां अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री विजय ओला, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.07.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 67/2021 पुलिस थाना पचेरी कलां मे अ0धा0 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त है जिसको अपनी सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। उनवानी प्रकरण मे जप्त वाहन पिकअप बोलेरो नं0 आरजे 18 जीए 6370 जिसका रजिस्टर्ड स्वामी प्रार्थी का पुत्र संदीप कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड पुलिस थाना गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं था। प्रार्थी के पुत्र सन्दीप कुमार की मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को हो गई। प्रार्थीगण का पुत्र अविवाहित था। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के है जो अनपढ है। इस कारण उक्त लोगों ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित जप्त वाहन का स्वामित्व को बदलवाया नही है। अब जब यह वाहन जप्त हुआ तो प्रार्थीगण ने उक्त वाहन के स्वामित्व बाबत जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनूं मे गये तो उन्होने कहा कि जप्तशुदा वाहन को मृतक के वारिसानों के नाम नही किया जा सकता है। उक्त वाहन के रिलिज होने पर ही समस्त कार्यवाही की जावेगी। उक्त वाहन समस्त कागजात परमिट, फिटनेश, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण पत्र चालू स्थिति मे है। वाहन दिनांक 08.04.2021 से पुलिस थाना पचेरी कलां मे जप्त खडा है। वाहन बारिश व घूप मे खराब होने की आशंका है। वाहन के सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश से 30 दिवस मे प्रार्थीगण वाहन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आर0सी0 बनाकर श्रीमान् के न्यायालय मे प्रस्तुत कर देंगे। प्रार्थीगण मौतवीर सपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे जप्त वाहन बोलेरों पिकअप नं0 आरजे 18 जीए 6370 को प्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:47:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां ने अपने पत्रांक 2236 दिनांक 14.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.04.2021 को मुकदमा मुस्तगीस श्री ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृत्ताधिकारी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

28

बुहाना एक फर्द जप्ती इस आशय की पेश की कि मन ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृत्ताधिकारी बुहाना मय जाब्ता श्री भीमसिंह कानि0 मय सरकारी गाडी मय चालक श्री घनश्याम कानि0 1204 के 9.00 एएम पर वृत्त कार्यालय बुहाना से राजकार्य हेतु रवाना होकर समय करीब 9.20 पीएम पर थाना सिंघाना पहूंचा जहां पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी श्री कल्याण सिंह सउनि मय जाप्ता श्री कुमार कानि 284, सुरेन्द्र कानि0 1354, विक्रम कानि 1265, सुरेश कानि 877 मय सरकारी कैम्पर नं0 आरजे 18 यूबी 8973 मय चालक अंकित कानि0 1329 मय क्यूआरटी टीम प्रभारी श्री भीमसिंह नं0 2567, मय जाप्ता संजय कानि0 1373, नेमीचन्द कानि0 1384, राधेश्याम कानि0 1129 मय कारी गाडी नं0 आरजे 18 यूबी 0382 मय चालक अंकित कानि0 1396 को हमराह लेकर वास्ते करने वाही स्पेशल एक्ट एवं इलाका गश्त हेतु समय 10.00 एएम पर थाना से रवाना होकर कस्बा सिंघाना, न, मुरादपुर, डूमोली मे गश्त करते हुए नारनौल सिंघाना रोड पर पचेरी खुर्द से पहले टोल बूथ के दीक आम सडक पर समय 10.30 एएम पर पहुंचे तो वहां एक बिना नम्बरी पिकअप गाडी खडी दिखाई पिकअप गाडी के पीछे डाले मे दो शख्स खडे नजर आये जो अचानक पुलिस जाप्ता मय सरकारी को बावर्दी देखकर पिकअप गाडी को छोडकर भागने लगे तो मन वृताधिकारी पने हमराही जाप्ते की द से घेरा देकर डिटेन किया। डिटेनशुदा दोनो शख्सान को हिदायत देकर नाम पूछा तो एक ने अपना विकास पुत्र मोहनलाल, जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी बासयाना भाटीवाड पुलिस थाना गुढागौडजी दूसरे शख्स ने अपना नाम शेरसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी खाखिला की ढाणी तन ली पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुंझुनूं का होना बताया। डिटेनशुदा उक्त दोनो शख्सान विकास व सिंह से मन वृत्ताधिकारी ने भागने का कारण पूछा तो सकपकाते हुए दोनो ने बताया कि हम पिकअप डी के अन्दर अवैध डीजल–पेट्रोल भरकर बच रहे थे। इसलिए डर के मारे भाग रहे थे। जिस पर टेनशुदा दोनो शख्सान विकास व शेरसिंह को हमराह लेकर पिकअप गाडी के पास पहूंचा व पिकअप डी को चैक किया तो पिकअप गाडी के पीछे डाले के अन्दर दो ड्रम लाल रंग, चार ड्रम नीले रंग, तीन हरे रंग के डीजल से भरे हुए व एक 20 लीटर का छोटा ड्रम बरंग नीला पेट्रोल से भरा हुआ, दो लोहे नापनी, एक बैरल पम्प, एक प्लास्टिक का कीमा मिला। शख्स मजकुरान के कब्जे मे मिली पिकअप डी का निरीक्षण किया गया तो पिकअप गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट नही लगी हुई है। पिकअप गाडी आगे के हिस्से का रंग सफेद है तथा पिकअप के डाले का रंग भूरा है। आगे मैन शीशे के नीचे बाडी शुभ–लाभ लिखा है। पिकअप गाडी के ईंजन नम्बर GHC1L90684 व चैचिस नम्बर A1ZC4GHKC1L82140 है। डिटेनशुदा उक्त दोनो शख्सान विकास व शेरसिंह से इतनी मात्रा मे अवैध जल भरकर बेचने बाबत लाइसेन्स व अनुज्ञा पत्र के बारे मे पूछा तो अपने पास केई लाईसेन्स व अनुज्ञा नही होना बातया। पूछने पर बताया कि हरियाणा मे डीजल सस्ता है। हम वहां से सस्ता डीजल व ट्रोल लाकर हां राजस्थान मे बेचकर मुनाफा कमातें है। शख्स मजकुरान का सार्वजनिक स्थान पर बिना ज्ञा पत्र के अवैध डीजल पेट्रोल बेचना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफ वर्जी पाये जाने पर शख्सान विकास व शेरसिंह के कब्जे मे मिले तेल का नाप किया गया तो एक छोटा स्टिक का ड्रम करीब 20 लीटर पेट्रोल से भरा हुआ व नो बडे ड्रम प्लास्टिक के डीजल से भरे हुए जिनमे प्रत्येक ड्रम मे करीबन 170 लीटर कुल 1530 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त शख्स मजकुरान कास व शेरसिंह के कब्जे मे मिली बिना नम्बरी पिकअप गाडी को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा लिया गया। मुलजिमान विकास व शेरसिंह के क... अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द रफ्तारी पृथक से गिरफतार किया गया। फर्द पर नमूना ... की गई। मौके पर फर्दात लेपटॉप टाईप कर प्रिन्टर से प्रिन्ट आउट कर ह... को थाना परिसर मे खडा करवाया गया व जप्तुशुदा सैम्पल व माल क... गया। इत्यादि पर फर्द पर मुकदमा 67/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे दर्ज ... अनुसंधान किया गया बाद अनुसंधान मुल्जिमान विकास पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी बासयाना भाटीवाड पुलिस थाना गुढागौडजी व शेरसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी खाखीला की ढाणी तन नंगली पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुंझुनूं के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर नतीजा जरिये चार्जसीट नं0 39 दिनांक 28.04.2021 किया जा चुका है। नतीजा आईन्दा पेश न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:47:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुंझुनूं

29

जावेगा। जप्तशुदा वाहन आरजे 18 जीए 6370 को वाहन स्वामी को सुपुर्द किया जाता है तो कोई नही है। रिपोर्ट श्रीमान् कही सेवामे पेश है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये किया कि जप्त वाहन पिकअप बोलेरो नं0 आरजे 18 जीए 6370 जिसका रजिस्टर्ड स्वामी प्रार्थी का न्दीप कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड पुलिस थाना गुढागौडजी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं था। प्रार्थी के पुत्र सन्दीप कुमार की मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को हो प्रार्थीगण का पुत्र अविवाहित था। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के है जो अनपढ है। इस कारण उक्त ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित जप्त वाहन का स्वामित्व को बदलवाया नही है। अब जब यह वाहन जप्त तो प्रार्थीगण ने उक्त वाहन के स्वामित्व बाबत जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनूं मे गये तो उन्होने कहा जप्तशुदा वाहन को मृतक के वारिसानों के नाम नही किया जा सकता है। उक्त वाहन के रिलिज होने समस्त कार्यवाही की जावेगी। उक्त वाहन समस्त कागजात परमिट, फिटनेश, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण पत्र स्थिति मे है। वाहन दिनांक 08.04.2021 से पुलिस थाना पचेरी कलां मे जप्त खडा है। वाहन बारिश व खराब होने की आशंका है। वाहन के सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश से 30 दिवस मे प्रार्थीगण के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आर0सी0 बनाकर श्रीमान् के न्यायालय मे प्रस्तुत कर देंगें। प्रार्थीगण सपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर उक्त मे जप्त वाहन बोलेरों पिकअप नं0 आरजे 18 जीए 6370 प्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये जाने का फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 67/2021 पुलिस थाना पेचरी कलां में अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट जप्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आर0जे0 18 जीए 6370 का उपयोग अवैध रूप से 9 बडे प्लास्टिक के जिनमे प्रत्येक मे 170 लीटर डीजल कुल 1530 लीटर डीजल व एक छोटे ड्रम मे 20 लीटर पेट्रोल भरा है जो कि बिक्री के उद्देश्य से हरियाणा से लाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है :–

1. प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। जप्त डीजल की मात्रा 1530 लीटर एवं पेट्रोल 20 लीटर है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल वहां से लाकर बेचने हेतु लाया जा रहा था।
4. प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हमारे द्वारा जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत ... वाहन संख्या आरजे 18 जीए 6370 सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित समझते है।
5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 1530 लीटर (9 बडे प्लास्टिक के ड्रम जिनमे प्रत्येक मे 170 लीटर डीजल) तथा व 20 लीटर पेट्रोल एक छोटा ड्रम का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:47:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर.67/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीए 6370 को 03–03 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर वाहन स्वामी के माता–पिता मोहनलाल पुत्र श्री नाथाराम, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं एवं संतोषदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं को सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरीकलां को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:47:55 IST
Reason: SelfAttested